Setting up of a High Court Bench at Bhopal

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : नहीं, राघवजी, बोलिए।

श्री राघवजी : भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद भी भोपाल में न हाई कोर्ट है, न हाई कोर्ट की बेंच है और न सर्किट बेंच है। जबकि हिन्दुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं अधिकांश की राजधानियों में इस प्रकार की व्यवस्था है। केवल कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर यह नहीं हैं। उसमें -ईटानगर, गांधी नगर, भुवनेश्वर, भोपाल और तिरुअनंतपुरम हैं। ईटानगर के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शीघ्र ही वहां पर गुवहाटी की बेंच होने वाली है। भुवनेश्वर और गांधी नगर तो अहमदाबाद और कटक के बहुत पास हैं।.....(**व्यवधान**)....

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I understand you are disallowing raising of issues like this.

MR. CHAIRMAN: This is regarding setting up of a High Court Bench by Government of India. It is not regarding the State Government.

श्री राघवजी : सभापति महोदय, सभी प्रदेश की राजधानियों में इस प्रकार की व्यवस्था है। जिनमें नहीं हैं वहां कुछ कारण हैं। ईटानगर में सरकार ने निर्णय लिया है कि गुवहाटी हाई कोर्ट की बेंच वहां स्थापित होगी। इसी प्रकार से भुवनेश्वर और गांधी नगर के पास जो शहर - अहमदाबाद और कटक हैं, एक घंटे के रास्ते पर वहां पर भी हाई कोर्ट की बेंच है। सिर्फ भोपाल और तिरुअनंतपुरम में हाई कोर्ट नहीं है, बेंच नहीं है और सर्किट बेंच भी नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान की भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और आज के इस युग में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में 36 घंटे तक लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच नहीं हैं। भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। एक बात और भी है कि आर्थिक दृष्टि से भी भोपाल में हाई कोर्ट अथवा उसकी बेंच अथवा सर्किट बेंच होनी इसलिए जरूरी है कि 60 प्रतिशत मामलों में सरकार एक पक्ष हुआ करती है और सरकार का मुख्यालय भोपाल में होने की वजह से अधिकारियों को बार-बार जबलपुर जाना पड़ता है और करोड़ों रुपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं हाई कोर्ट में जो प्रकरण पेंडिंग हैं मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूं। 99069 प्रकरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लम्बित हैं जिनमें से

25221 प्रकरण ऐसे हैं जो पांच वर्षों से भी अधिक समय से वहां पर लम्बित हैं। भोपाल राजधानी नहीं होने से लोगों को बहुत तकलीफ है और बार-बार इस संबंध में वहां आंदोलन हुए हैं। इसके बाद भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सभापति महोदय, एक बात और भी है कि भोपाल में ही जुडिशियरी की एकाडमी की स्थापना की गई है जहां पर जजेज की ट्रेनिंग होती है। अगर वहां पर हाई कोर्ट नहीं होगी तो उस ट्रेनिंग का अर्थ भी क्या होगा इसीलिए माननीय सभापति महोदय, मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भोपाल हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। यदि इसमें को अड़चनें आ रही हैं, कानूनी व्यवधान आ रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कानून भी बनाया जा सकता है कि सभी प्रदेश की राजधानियों में हाई कोर्ट अथवा उसकी बेंच हों। अगर आ इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे4 आर्थिक बचत भी होगी। इस जो पक्षकार होंगे उनको भी सुविधाएं होंगी और इसमें जन का हित भी होगा। माननीय वि मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि हम विलम्ब दूर करेंगे और आप अधिक न्यायाधीशों व नियुक्ति करने जा रहे हैं उसमें एक कदम यह भी हो सकता है कि उसके साथ ही अधिक बैं भी स्थापित की जा सकती हैं। माननीय विधि राज्य मंत्री जी स्वयं भोपाल से आते हैं, वह व से चुनकर आए हैं, वह स्वयं इस समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं विधि राज्य मं जी से अपेक्षा करता हूं कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, विगत कई वर्षों से देश के सब बड़े राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग क जाती रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में हाई कोर्ट की स्थापना की सिफारिश पहले 2 मई, 1981 को की और बाद में मार्च 1984 मे की। लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वा भोपाल में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। भोपाल अनेक शासकीय कर्मचारियों को अपने अनेको शासकीय प्रकरणों के निपटारे के लिए जबलपु हाई कोर्ट जाना पड़ता है। उससे शासन का पैसा अनावश्यक रूप से अधिक खर्च होता है उन्हें जल्दी निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि भोपाल में हाई कोर्ट की बैंच की स्थाप की जाए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर हाई कोर्ट की बैं प्रारम्भ करने के लिए मौजूद है। भोपाल में जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट भी रहा है। इसलि वहां पर हाई कोर्ट की बेंच की स्थापित करने की जो मांग हे वह जायज है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने संबंधी जो सिफारिश पूर्व में की हैं, उनको मद्देनजर रख हुंए भोपाल में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना करने संबंधी निर्णय लिया जाए। मध्य प्रदेश से विधि राज्य मंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश से ही प्रधान मंत्री जी का सीधा संबंध रहा है। फिर भी, मध्

प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना न होना न्यायसंगत नहीं है। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी। अभी हाल ही में जो प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य है, उसमें भी रायपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव है। जब रायपुर में जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट की बेंच प्रारम्भ की जा सकती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई कोर्ट की बेंच शीघ्र स्थापित क्यों नहीं हो सकती? यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं राघवजी की बात से अपने आप को संबद्ध करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, on the question of establishment of a High Court Bench in Bhopal, we have received representations from various Bar Associations and advocates. We have also received similar representations from a number of advocates from Thiruvanthapuram also. But as per the provision, it depends on the recommendation of the concerned States as well as of the Chief Justices of the concerned High Courts. We are awaiting. We will take action according to the recommendations of these two bodies.

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Sharma. *(Interruptions)*.

श्री सुरेश पचौरी : मध्य प्रदेश की सरकार ने 22 मई , 1981 को और मार्च 1984 को भोपाल में हाई कोर्ट बैंच की स्थार्पना की सिफारिश की है। आप उस अनुशंसा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : सर, मेरा एक स्पेशल मैंशन है, वह आठवे नम्बर पर दिया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था। वह कल आना चाहिए था। लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ सका।

महोदय, एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया गया। अगर इस विषय पर सदन में आज चर्चा नहीं होगी तो इस विषय का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इसको पहले ले लेंगे तो अच्छा होगा।..

श्री सभापति : आप अपने साथियों से कहिए कि वह ..

श्री रामदास अग्रवाल :मैं समझता हूं कि हमारी सभी महिला सांसद भी इसका समर्थन करेंगी। ...(**व्यवधान**)...नहीं तो यह विषय आज भी छूट जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): सर, यह बहुत आवश्यक है। यह दुराचार एक दलित महिला के साथ हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Mr. Chairman, Sir, through this Special Mention, I would like to draw the attention of the Government to the urgent necessity of constructing an alternative bridge in Guwahati city, across the Brahamaputra, considering the increased traffic density in that area over the years.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, my request is this. Depending upon the importance and seriousness of the issue, the Chairman has always been changing the priority of Special Mentions also. After all, the incident which had taken place one month back is equally important. It was raised. Sir, you allowed it and the Minister was kind enough to respond to it. It is fine. It was for a good cause. But in the same way a Dalit woman has been raped and then burnt alive. After all, people are also watching the proceedings. A tragic incident, which has taken place, has not been taken up so far. A Cabinet Minister has been shot dead today in Madhya Pradesh. It is a very important issue. He belonged to a Tribal community. He was called from his house and was shot dead at Balaghat district in Madhya Pradesh. My only request is this. There is no need for quarrelling with each other. I am not saying that this issue should be taken up first or that issue should be taken up first. Sir, at one o' clock you will adjourn the House for lunch. Afterwards, some other business will be taken up.

MR. CHAIRMAN: If the Members are prepared to sit longer, I am ready to complete these issues.

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री लखीराम की रात को हत्या कर दी गई और साथ में एक पत्र मिला है जो यह दर्शाता है कि नक्सलवादियों ने उनकी क्रूरतम हत्या की है । यह अपने आप में बहुत जघन्य अपराध है और साथ ही बहुत चिंताजनक भी है । वे बालाघाट ज़िले के हैं और उनका नाम श्री लखीराम गौरे था । साथ में जो पर्ची मिली है उसमें यह लिखा गया है - "क्योंकि आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उसके बदले के रूप में ये हत्या कर रहे हैं, इस बात को सचेत

करने के लिए कि नक्सलवादियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया जाए।" महोदय, यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है । निश्चित रूप से सदन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो सके।

Need for a second bridge over Brahmaputra to accommodate increased traffic

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Sarma. *(Interruptions)*.

श्री राघवजी : महोदय, यह बहुत जघन्य अपराध है। ....(**व्यवधान**)....

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Sir, I am not allowing anybody. I am not yielding. I have been standing here for the last

five minutes. *(Interruptions)*.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Sir, what is this? The Member has not yielded. He is interrupting him in the midst of his speech. The right of the Member should be protected.

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Sarma. *(Interruptions)*.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, I have been waiting to raise this issue for the last two days.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, he is a Member of the House. We are not stopping him from raising this issue. *(Interruptions)*.

SHRI MD. SALIM: He has made a good suggestion. But he cannot

interrupt someone in the midst of this speech. This is very unfortunate.

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Kumar Sarma. (Interruptions).

SHRI MD. SALIM: He is teaching us all the time. One should follow what one teaches. *(Interruptions)*.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, I had already started my speech. Nobody should have interrupted me because I have never interrupted anybody. Kindly bear with me.

Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the